संख्या-85/2024/।/749770/2024/001-71-2099-514-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-23-09-2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में संस्थान के एकेडमिक ब्लाक भवन के तीनों बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में फर्नीचर तथा लेक्चर थियेटर में आवश्यक वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रेजेन्टेशन सिस्टम हेतु परियोजना की अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2985/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2023/सि0-136/2, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में संस्थान के एकेडमिक ब्लाक भवन के तीनों बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में फर्नीचर तथा लेक्चर थियेटर में आवश्यक वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रेजेन्टेशन सिस्टम हेतु परियोजना की अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 64.67 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2017 द्वारा धनराशि रू0 1288.37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त के उपरान्त शासनादेश दिनांक 03.07.2017 द्वारा धनराशि रू0 515.35 लाख, शासनादेश दिनांक 02.11.2017 द्वारा धनराशि रू0 515.35 तथा शासनादेश दिनांक 06.01.2022 द्वारा धनराशि रू0 193.00 लाख (परियोजना की 95 प्रतिशत धनराशि रू0 1223.70 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेन्ट, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर तथा लेक्चर थियेटर्स में वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रजेन्टेशन सिस्टम हेतु संस्थान के वृहद निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि रू0 64.67 लाख (रुपये चौंसठ लाख सड़सठ हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 51.09 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 13.58 लाख) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का व्यय संतोषजनक रूप से कर लिया गया है एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कार्य कराया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

(5) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 51,09,000 (रुपये इक्यावन लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 13,58,000 (रुपये तेरह लाख अट्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-85/2024/I/749770/2024/001-71-2099-514-2020, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7) वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in